

प्रेषक,

अजीत कुमार मिश्र,

सिविल जज (जू०डि०),

कुशीनगर, स्थान-पडरौना।

सेवा में,

माननीय महानिबंधक महोदय,

माननीय उच्च न्यायालय,

इलाहाबाद।

द्वारा,

माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय,

कुशीनगर, स्थान-पडरौना।

विषय:-

एल-एल०एम० (दूरस्थ शिक्षा) पाठ्यक्रम के संबंध में सादर अनुमति प्राप्ति हेतु।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सादर निवेदन है कि प्रार्थी ने प्रथम नियुक्ति के परिणाम स्वरूप अपर सिविल जज (जू०डि०) संत कबीर नगर का कार्यभार दिनांक 29.09.2020 को ग्रहण किया। इस सेवा में आने से पूर्व ही प्रार्थी ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में दूरस्थ शिक्षा के अन्तर्गत एल-एल०एम० प्रथम वर्ष में प्रवेश अगस्त 2019 में ही ले लिया था तथा अपर सिविल जज (जू०डि०) संत कबीर नगर का कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व ही एल-एल०एम० प्रथम वर्ष के तीन प्रश्नपत्र की परीक्षा ऑनलाईन माध्यम से क्रमशः दिनांक 11, 19 तथा 28 सितम्बर, 2020 को दे चुका था। चूंकि प्रार्थी की उक्त परीक्षाएँ कार्यभार ग्रहण करने के अगले ही दिन दिनांक 30 सितम्बर एवं 03 एवं 05 अक्टूबर को ही थीं। इस कारण प्रार्थी ने उक्त तीन तिथियों को आकस्मिक अवकाश माननीय जनपद न्यायाधीश से प्राप्त करते हुए इन तीन प्रश्नपत्रों की परीक्षाओं में ऑनलाईन माध्यम से सम्मिलित हुआ था। प्रार्थी ने माननीय जनपद न्यायाधीश के समक्ष आकस्मिक अवकाश प्रार्थना पत्र में परीक्षा संबंधी तथ्यों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया था।

प्रार्थी ने इस दूरस्थ पाठ्यक्रम के द्वितीय वर्ष में आवेदन के संबंध में माननीय महानिबंधक महोदय को सादर सूचनार्थ प्रार्थना पत्र दिनांकित 20.04.2021 (कार्यालय जनपद न्यायाधीश, संत कबीर नगर) पत्रांक 377/XV दिनांक 23.04.2021 के माध्यम से प्रेषित किया था। प्रार्थी ने एल-एल०एम० प्रथम वर्ष Reappear परीक्षा में आवेदन के समय क्रमशः 19.01.2022 (कार्यालय जनपद न्यायाधीश, संत कबीर नगर के पत्रांक सं० 75/XV दिनांक 19.01.2022) एवं दिनांक 05.01.2023 (कार्यालय जनपद न्यायाधीश, संत कबीर नगर के पत्रांक सं० 25/XV दिनांक 05.01.2023) को माननीय महोदय को सादर सूचनार्थ प्रार्थना पत्र प्रेषित किया था। प्रार्थी इस सेवा में आने से पूर्व उत्तराखण्ड में सहायक अभियोजन अधिकारी के पद पर कार्यरत था। प्रार्थी ने अभियोजन विभाग उत्तराखण्ड को इस एल-एल०एम० दूरस्थ पाठ्यक्रम के संबंध में **अनुमति प्राप्ति हेतु** प्रार्थना पत्र प्रेषित किया था। प्रार्थी को यह जानकारी थी कि किसी नई सेवा में आने पर पूर्व में जारी पाठ्यक्रम (दूरस्थ) की दशा में संबंधित विभाग को मात्र सादर सूचनार्थ प्रार्थना पत्र प्रेषित करना होता है। इस कारण प्रार्थी ने किसी भी तथ्य को न छिपाते हुए विभिन्न समयों पर द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम व Reappear परीक्षा आवेदन के संबंध में माननीय महोदय के समक्ष सादर सूचनार्थ प्रार्थना पत्र प्रेषित किया था। प्रार्थी के आवेदन पर ई-पोर्टल से आपत्ति निम्नवत्

लगी- "On the above noted subject, I have to say that the officer may kindly be asked to clarify the reason for intimating about his LL.M. course after three years of his joining and after the completion of the course. **The officer should also asked to submit his prayer/request for grant of permission instead of intimation only** as well as he should intimate the dates of LL.M. 1st year and second year examination and result with supporting papers, at the earliest, for taking further necessary action in the matter."

उक्त आपत्ति के संबंध में प्रार्थी ने दिनांक 18.07.2023 को माननीय महोदय को उक्त परीक्षा में सादर अनुमति प्राप्ति हेतु प्रार्थना पत्र वांछित अभिलेखों के साथ प्रेषित किया था।

अतः माननीय महोदय से प्रार्थना है कि उक्त के संबंध में अनुमति प्रदान करने की कृपा करें।

सादर प्रेषित।

दिनांक 09.04.2024

भवदीय,

A.K. Mishra

09.04.2024

(अजीत कुमार मिश्र)

सिविल जज (जू०डि०),

कुशीनगर, स्थान-पडरौना।